Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, THURSDAY, FEBRUARY 27, 2014
(PHALGUNA, 8, 1935 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 27th February, 2014

No. 14—HLA of 2014/14.—The Haryana Private Universities (Amendment) Bill, 2014, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 14—HLA of 2014

THE HARYANA PRIVATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL, 2014

A

BILL

further to amend the Haryana Private Universities Act, 2006.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Private Universities (Amendment) Act, 2014. Short title.

Price : Rs. 5.00

Amendment of section 2 of Haryana Act 32 of 2006.

2. In section 2 of the Haryana Private Universities Act, 2006 (hereinafter called the principal Act),--

(i) after clause (n), the following clauses shall be inserted, namely:--

'(na) "off-campus centre" means a centre of the university established by it outside the main campus but within the State of Haryana, operated and maintained as its constituent unit and having its complement of facilities, faculty and staff;

(nb) "off-shore campus" means a campus of the university established by it outside the country, operated and maintained as its constituent unit and having its complement of facilities, faculty and staff;';

(ii) for clause (s), the following clause shall be substituted, namely:---

'(s) "regulating body" means a body established by the Government of India for laying down norms and conditions for ensuring academic standards of higher education, such as University Grants Commission, All India Council for Technical Education, National Council for Teachers Education, Medical Council of India, Bar Council of India, Pharmacy Council of India, Indian Council of Agricultural Research, Indian Nursing Council, Council of Scientific and Industrial Research etc. and includes the Government or any such body constituted by the Government;'.

Amendment of section 3 of Haryana Act 32 of 2006.

3. After clause (9) of section 3 of the principal Act, the following clauses shall be added, namely:--

"(10) to set up off – campus centre within the State of Haryana after obtaining approval from the University Grants Commission;

(11) to open off-shore campus in foreign countries after obtaining due permission from the University Grants Commission, the Government, the Government of India and also from the Government of the host country.".

Insertion of section 3A in Haryana Act 32 of 2006.

4. After section 3 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:---

"(3A) Conditions for setting up off-campus centre.---

(1) The university shall be allowed to set up only one off-campus centre within the State of Haryana on fulfillment of the following conditions, namely:-

(a) it has completed five years of establishment;

(b) it has been accredited "A" grade by National Assessment and Accredited Council;

(c) it has never violated the conditions of Letter of Intent and the provisions of the Act;

(d) it has obtained the approval from the University Grants Commission; and

(e) it has in its possession the land as described below:—

(i) three acres of land by way of ownership or lease of thirty years, if the university intends to set up off-campus centre in a Municipal Corporation;

(ii) four acres of land by way of ownership or lease of thirty years, if the university intends to set up off-campus centre in a Municipal Committee;

(iii) five acres of land by way of ownership or lease of thirty years, if the university intends to set up off-campus centre in a rural area.

(2) The off-campus centre shall be totally administered by the university and no franchise for its running shall be allowed.

(3) The off-campus centre shall have adequate buildings, other infrastructure facilities and staff as per the norms and standards prescribed by the University Grants Commission and other regulatory bodies. Such facilities shall be proportionate to the size and activities of the off-campus centre.

(4) The university shall furnish adequate financial guarantee as per the rules framed or as decided by the Government, from time to time.".

5. For sub-section (2) of section 10 of the principal Act, the following sub-sections shall be substituted, namely:— Amendment of section 10 of Haryana Act 32 of 2006.

"(2) The university shall not open any study centre and examination centre in or out of the State of Haryana and shall not offer any programme through distance education mode.

(3) The university shall not offer any programme through distance education mode from off-campus centre or off-shore campus established under clauses (10) or (11) respectively of section 3 of the Act.".

Amendment of section 17 of Haryana Act 32 of 2006.

6. For sub-section (1) of section 17 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor as per the qualifications prescribed by the University Grants Commission, subject to the provisions contained in sub-section (7) and shall hold office for a term of three years:

Provided that after expiry of the term of three years, the Vice-Chancellor shall be eligible for re-appointment for another term of three years:

Provided further that the Chancellor may further extend the term for another three years if the Vice-Chancellor has contributed significantly to raise the academic and research standards of the University:

Provided further that a Vice-Chancellor shall continue to hold the office even after the expiry of his term till the new Vice-Chancellor joins. However, in any case the period shall not exceed one year.".

Amendment of section 22 of Haryana Act 32 of 2006.

7. For clause (c) of sub-section (1) of section 22 of the principal Act, the following clause shall be substituted, namely:—

"(c) the Secretary to Government, Haryana, Higher Education Department or his nominee;".

Amendment of section 23 of Haryana Act 32 of 2006.

8. For clause (b) of sub-section (1) of section 23 of the principal Act, the following clause shall be substituted, namely:—

"(b) the Secretary to Government, Haryana, Higher Education Department or his nominee;".

Amendment of Schedule to Haryana Act 32 of 2006.

9. In the Schedule to the principal Act, after serial number 14 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be added, namely:—

"15.	Ashoka University	District Sonepat
16.	Al-Falah University	District Faridabad
17.	BML Munjal University	District Gurgaon".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There is a need for creation and expansion of educational institutions for improving opportunities of higher education for the youth of the State. In order to accommodate the unprecedented growth of students in higher education, and also to cross the target of 30% gross enrolment ratio (GER), we need to roughly double the number of institutions at all levels by 2020. The Government intervention would not be adequate to meet this benchmark in higher education. We need to enlist the participation of private sector in a major way. Haryana Private Universities Act, 2006 has been brought essentially to rope in private sector to supplement the initiative of Government in expanding the capacity in higher education and up scaling its standards.

The Private Universities established till date have shown promise to be emerged as Centres of Excellence in academic spheres. There has been demand from some of these Universities that the provisions such as Off Campus Centres and Off Shore Campus may be restored so that the courses and expertise provided by these Universities may be extended to more students. Considering this demand, it has been decided to allow only one off campus centre to a Private University within the State of Haryana on fulfilling the parameters enshrined in the Act. Further to enable a Private University to extend its operations to other countries, it has been decided to incorporate the provision of off shore campus after obtaining due permission from the UGC, the State Government, the Government of India and the Government of the Host Country.

Further, one more term of three years has been allowed for the appointment of the Vice Chancellor of a Private University so that there is a steady progress and academic development of the University under the guidance of an experienced person.

Further existing provisions of the composition of the Governing Body and the Board of Management has been amended to the extent that the Secretary to Government Haryana, Higher Education Department or his nominee shall be the member of the above mentioned bodies.

To achieve the objectives enshrined in the Act, proposals have been formulated for setting up of Ashoka University, Sonipat, Al Falah University, Faridabad and BML Munjal University, Gurgaon.

Hence, this Bill.

GEETA BHUKKAL,
Education Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 27th February, 2014.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2014 का विधेयक संख्या 14–एच०एल०ए०

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006, को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जा सकता है ।

2006 का हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 2 का संशोधन।

2. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (जिसे इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, -

(i) खण्ड (ढ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्:–

'(ढक) "ऑफ-कैम्पस केन्द्र" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य कैम्पस के बाहर किन्तु हरियाणा राज्य के भीतर, इसकी घटक इकाई के रूप में संचालित तथा अनुरक्षित तथा इसकी पूरक सुविधाएं, संकाय तथा अमला रखने वाला इसका स्थापित केन्द्र ;

(ढख) "ऑफ़शॉर (अपतट) कैम्पस" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय द्वारा देश के बाहर, इसकी घटक इकाई के रूप में संचालित तथा अनुरक्षित तथा इसकी पूरक सुविधाएं, संकाय तथा अमला रखने वाला इसका स्थापित कैम्पस;';

(ii) खण्ड (ध) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

'(ध) "विनियमन निकाय" से अभिप्राय है, उच्चतर शिक्षा के शैक्षिक मानक सुनिश्चित करने के लिए मानदण्डों और शर्तें अधिकथित करने हेतु भारत सरकार द्वारा स्थापित कोई निकाय जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय विधिज्ञ परिषद्, भारतीय भेषजी परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, भारतीय नर्सिंग परिषद्, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् इत्यादि तथा इसमें सरकार अथवा सरकार द्वारा गठित कोई ऐसा निकाय भी शामिल है;' ।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (9) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिए जाएंगे, अर्थात् :— 2006 का हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 3 का संशोधन।

"(10) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद हरियाणा राज्य के भीतर ऑफ–कैम्पस केन्द्र स्थापित करना ;

(11) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सरकार, भारत सरकार तथा अतिथेय देश की सरकार से भी सम्यक् अनुमति प्राप्त करने के बाद विदेशों में ऑफ्शॉर कैम्पस खोलना।"।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— 2006 का हरियाणा अधिनियम 32 में धारा 3क का रखा जाना।

"3क ऑफ–कैम्पस केन्द्र की स्थापना के लिए शर्तें.– (1) विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शर्तों के पूरा करने पर हरियाणा राज्य के भीतर केवल एक ऑफ–कैम्पस केन्द्र स्थापित करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) इसने स्थापना के पांच वर्ष पूरे कर लिए हों ;

(ख) इसे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् द्वारा "ए" ग्रेड प्रत्यायित किया गया हो ;

(ग) इसने कभी भी आशय पत्र की शर्तों तथा अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं किया हो ;

(घ) इसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन प्राप्त कर लिया हो ; तथा

(ङ) नीचे यथा वर्णित भूमि इसके कब्जे में हो :—

(i) यदि विश्वविद्यालय नगर निगम में ऑफ–कैम्पस केन्द्र स्थापित करने का आशय रखता है, तो स्वामित्व या तीस वर्ष के पट्टे के तौर पर तीन एकड़ भूमि ;

(ii) यदि विश्वविद्यालय नगरपालिका समिति में ऑफ– कैम्पस केन्द्र स्थापित करने का आशय रखता है, तो स्वामित्व या तीस वर्ष के पट्टे के तौर पर चार एकड़ भूमि ;

(iii) यदि विश्वविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में ऑफ–कैम्पस केन्द्र स्थापित करने का आशय रखता है, तो स्वामित्व या तीस वर्ष के पट्टे के तौर पर पांच एकड़ भूमि।

(2) ऑफ–कैम्पस केन्द्र पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित किया जाएगा तथा इसको चलाने के लिए किसी फ्रैन्चाइज को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(3) ऑफ--कैम्पस केन्द्र के पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विनियामक निकायों द्वारा विहित मापदण्डों तथा मानकों के अनुसार पर्याप्त भवन, अन्य अवसंरचना सुविधाएं तथा अमला होगा। ऐसी सुविधाएं ऑफ--कैम्पस केन्द्र के आकार तथा कार्यकलापों के आनुपातिक होंगी।

(4) विश्वविद्यालय सरकार द्वारा, समय--समय पर, बनाए गये या यथा विनिश्चित नियमों के अनुसार पर्याप्त वित्तीय गारंटी प्रस्तुत करेगा।"।

2006 का हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 10 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 10 की उप--धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप - धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

"(2) विश्वविद्यालय हरियाणा राज्य के भीतर या बाहर कोई अध्ययन केन्द्र तथा परीक्षा केन्द्र नहीं खोलेगा तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से किसी कार्यक्रम का प्रस्ताव नहीं करेगा।

(3) विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 3 के क्रमश: खण्ड (10) अथवा (11) के अधीन स्थापित ऑफ--कैम्पस केन्द्र या ऑफशोर कैम्पस से दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से किसी कार्यक्रम का प्रस्ताव नहीं करेगा।"।

2006 का हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 17 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 17 की उप--धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप - धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(1) कुलपति उप-धारा (7) में दिए गए उपबन्धों के अध्यधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित योग्यताओं के अनुसार कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा तथा तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद, कुलपति दूसरी तीन वर्ष की अवधि के लिए पुन: नियुक्ति के लिए भी पात्र होगा :

परन्तु यह और कि कुलाधिपति और दूसरी तीन वर्ष की अवधि का भी विस्तार कर सकता है, यदि कुलपति ने विश्वविद्यालय के शैक्षिक तथा अनुसंधान मानकों को उन्नत करने के लिए सार्थक रूप से सहयोग किया है :

परन्तु यह और कि कुलपति उसकी अवधि समाप्त होने के बाद भी निरन्तर पद धारण करेगा जब तक नया कुलपति पद धारण नहीं करता है। तथापि, किसी भी दशा में अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।"।

2006 का हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 22 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(ग) सचिव, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग या उसका नामनिर्देशिती ;"।

8. मूल अधिनियम की धारा 23 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :– 2006 का हरियाणा अधिनियम 32 की धारा 23 का संशोधन।

"(ख) सचिव, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग या उसका नामनिर्देशिती ;"।

9. मूल अधिनियम की अनुसूची में, क्रम संख्या 14 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा उनके सामने प्रविष्टियां जोड़ दी जाएंगी, अर्थात् :– 2006 का हरियाणा अधिनियम 32 की अनुसूची का संशोधन।

"15.	अशोका विश्वविद्यालय	जिला सोनीपत
16.	अल–फलाह विश्वविद्यालय	जिला फरीदाबाद
17.	बी एम एल मुंजाल विश्वविद्यालय	जिला गुड़गांव"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

राज्य के युवाओं को उच्चतर शिक्षा में बेहतर अवसर प्रदान करने हेतु शैक्षणिक संस्थानों की संरचना और विस्तार की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों की अप्रत्याशित वृद्धि को समायोजित करने की व्यवस्था मे और 30% सकल चिट्टा अनुपात प्राप्त करने के लिए हमें सभी स्तरों पर वर्ष 2020 तक संस्थाओं की संख्या में मोटे तौर पर दोहरी वृद्धि करने की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप पर्याप्त नही होगा। हमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को एक प्रमुख रूप से शामिल करने की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा और इसके मानको के पैमाने की क्षमता का विस्तार करने में सरकार की पहल के अनुपूरक में हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 को अनिवार्यतः लाया गया।

अब तक स्थापित निजी विश्वविद्यालयों ने शैक्षिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप मे उभरने की संभावना दिखाई है इनमे से कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा मांग की जाती रही है कि ऑफ कैम्पस केन्द्रों और अपतटीय कैम्पस जैसे प्रावधानों को पुनः बहाल किया जाए ताकि इन विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए जा रहे विषयों एवं विशेषज्ञता को और अधिक विद्यार्थियों तक विस्तारित किया जा सके। इस मांग पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अधिनियम में निहित मापदंडों को पूरा करने पर एक निजी विश्वविद्यालय को हरियाणा राज्य के भीतर एक ऑफ कैम्पस केन्द्र चलाने की अनुमति प्रदान कर दी जाए। इसके आगे, अन्य देशो मे एक निजी विश्वविद्यालय को अपने कार्यों का विस्तार करने में सक्षम करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य सरकार, भारत सरकार एवं मेजबान देश की सरकार से देय आवश्यक अनुमति प्राप्त करने अपरान्त अपतटीय कैम्पस का प्रावधान शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

इससे आगे निजी विश्वविद्यालय के उपकुलपति की नियुक्ति के लिए तीन वर्षों की एक और अवधि प्रदान की गई है ताकि एक अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय की निरन्तर उन्नति एवं शैक्षणिक विकास हो।

इसके अतिरिक्त शासन निकाय और प्रबंधन बोर्ड की रचना के वर्तमान प्रावधानों को इस सीमा तक संशोधित किया गया है कि सचिव, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग अथवा उसका मनोनीत सदस्य उक्त वर्णित निकायों का सदस्य होगा।

इसके अतिरिक्त अधिनियम मे वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जिला सोनीपत में अशोका विश्वविद्यालय, जिला फरीदाबाद में अल-फलाह विश्वविद्यालय और गुड़गांव मे बी०एम०एल० मुंजाल विश्वविद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव का प्रतिपादन किया गया है।

अतः बिल प्रस्तुत है।

गीता भुक्कल,
शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 27 फरवरी, 2014.

सुमित कुमार,
सचिव।